मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:-भ030वि0/यो0(छप0)-46/2017 पटना, दिनांक:-

प्रेषक,

रामजी राय,

मुख्य अभियंता(उत्तर)।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,

भवन अंचल, छपरा।

विषय:- गोपालगंज जिलान्तर्गत उचकागाँव प्रखंड में सद्भावना मंडप का निर्माण कार्य का निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 57 अनु0, दिनांक 15.01.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त विषयांकित निर्माण कार्य के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति की दिनांक-29.01.2018 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में इस कार्य के लिए न्यूनतमत सफल निविदाकार ''अजाजुल हक खान, खान बैरिया, पो0-जगरनाथ, थाना-उचकागाँव, जिला-गोपालगंज'' जिनका निविदित दर अनुसूचित मद में प्राक्कलित राशि ₹67,20,243.00 से 10.00% कम यानि कुल ₹60,48,219/- (साठ लाख अड़तालीस हजार दो सौ उन्नीस रूपये) मात्र के लिए अनुमोदित करते हुए निविदा संबंधी सभी कागजात मूल रूप में वापस लौटायी जाती है।

2. कार्य पूरा करने की अवधि कार्यादेश/एकरारनामा से 06 (छ:) माह होगी।

3. स्वीकृति प्रदान की जानेवाली कार्य मदों के विरूद्ध भुगतान हेतु विभाग के आवंटन संबंधी नियमों को अनुपालन किया जाय एवं किसी भी परिस्थिति में दायित्व का सृजन नहीं किया जाय।

4. एकरारनामा करने के पूर्व की क्वैरी की दूरी की जाँच अपने स्तर से करके संतुष्ट हो लेंगे।

5. राशि की अंकगणितिय जाँच औपचारिक रूप से दर की स्वीकृति के पूर्व अधीक्षण अभियंता के स्तर से कर लिया जाय।

6. एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन राशि की सत्यता की जाँच कर स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

7. एकरारनामा करने के पूर्व निबंधन नवीकरण प्रमाण-पत्र, अद्यतन प्रमाण पत्र, आयकर सफाया प्रमाण, वाणिज्यकर निबंधन नवीकरण एवं सफाया प्रमाण-पत्र, तथा श्रम लाईसेंस के मूल प्रति से मिलान कर जाँच कर लेंगे तथा इसकी सत्यता से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही संवेदक द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक कागजात की जाँच कर उसकी सत्यता से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लेंगे।

8. कार्य से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति एवं कार्य की जाँच निगरानी विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में करेंगे। सामग्रियों की आपूर्ति तथा कार्य की गुणवत्ता से संबंधित जाँच में किसी तरह की त्रुटियों के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता दोषी होंगे।

9. संवेदक को कार्य स्थल पर निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच बी0आई0एस0 कोड एवं आई0एस0आई0 मानक के अनुसार करना अनिवार्य होगा तथा स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित करना होगा।

10. एकरारनामा करने के पहले संबंधित कार्य को पूरा करने की लिखित प्रतिवेदन संवेदक को पाक्षिक कार्य योजना देना होगा।

11. इस कार्य के लिए स्वीकृत प्राक्कलन एवं प्रावैधिक टिप्पणी एकरारनामा का अंग होगा।

12. निविदा कागजात प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।

13. विरोधाभास पाए जाने की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी से तुरंत सम्पर्क स्थापित कर तथा उस पर स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने पर ही अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाय।

14. Defect Liability Period तीन वर्ष मान्य होगा।

15. Reinforcement के रूप में TATA, SAIL,VIZAG एवं Shyam Steel का प्रयोग करना होगा।

16. कार्य की प्रगति एवं कार्यक्रम की सूचना समय-समय पर अद्योहस्ताक्षरी को भेजा जाय।

17. अनुमोदित नक्शे के अनुरूप कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

18. गैर अनुसूचित मदों में विशिष्टियों का विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में न्यून विशिष्टियों की सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(रामजी राय)

मुख्य अभियंता (उत्तर)।

ज्ञापांक- 264 पटना, दिनांक- 08/2/18

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज/आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7-2-18

मुख्य अभियंता (उत्तर)।